हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 63/2023 बअनवान अनवरखां बनाम इस्लामखां वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 11.09.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री कुन्दनसिंह चौहान
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद विचाराधीन है। उतरदाता के पक्ष में अपीलाधीन आराजी का बेचान वादी/अपीलांटस से पहले हो रखा उसके बावजूद तथ्यों को छुपाते हुए उतरदाता को पक्षकार नहीं बनाया गया। किसी कारणवश अपीलाधीन आराजी में रेस्पोडेंटस के नाम बेचान के आधार पर नामांतकरण नहीं भरा गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश से उतरदाता के नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तो उतरदाता को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर गडरारोड़ के राजस्व आवेदन संख्या 73/2022 अनवान अनवरखां बनाम इस्लाम खां वगैर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2023 को अपास्त किया जाता है। हाजा न्यायालय पारित स्थगन आदेश दिनांक 22.06.2023 में संशोधन करते हुए उतरदाता मोतीलाल मालु के पक्ष में हो रखे बेचान दिनांक 16.06.2016 के अनुसार नियमानुसार नामांतकरण भरने की अनुमति दी जाती है तथा शेष स्थगन आदेश अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 11.09.2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर